प्रेस नोट

जनपद – संतकबीरनगर

दिनाँक 20.06.2026

क्रैक साइबर क्राइम अभियान के तहत साइबर सेल थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए वापस कराई गई 4,598 रु0 की धनराशि

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन क्रैक साइबर क्राइम अभियान के तहत साइबर अपराधों की रोकथाम एवं पीड़ितों को त्वरित सहायता प्रदान करने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में साइबर सेल थाना कोतवाली खलीलाबाद की टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए आनलाइन शापिंग एप पर बच्चो के खिलौना खरीदने के नाम पर किसी साइबर फ्राडर द्वारा आवेदिका के साथ धोखाधड़ी (फ्रॉड) कर फ्राड खाते से ट्रांसफर हुए 4,598 रुपये की धनराशि आवेदिका के खाते में सफलतापूर्वक धनराशि वापस करायी गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरणः- तिवारी टोला थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर से दिनाँक 21.03.2026 को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा आवेदिका को आनलाइन शापिंग एप पर बच्चो के खिलौना खरीदने के नाम पर किसी साइबर फ्राडर द्वारा आवेदिका के साथ धोखाधड़ी (फ्रॉड) कर फ्राड खाते में पैसा ट्रांसफर करवा लिया गया। ठगी का अहसास होने पर आवेदिका ने तत्काल थाना कोतवाली खलीलाबाद में शिकायत दर्ज कराई। साइबर हेल्प डेस्क द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए NCRP पोर्टल पर शिकायत पंजीकृत की गयी। पुलिस की प्रभावी पैरवी से 4,598 रुपये की धनराशि को आवेदिका के खाते में सफलतापूर्वक वापस करा दी गयी।

साइबर टीम में शामिल अधिकारी/कर्मचारीगण :- प्रभारी निरीक्षक श्री जयप्रकाश दूबे, अपराध निरीक्षक श्री वीरेन्द्र कुमार यादव (प्रभारी साइबर सेल), का0 रविकान्त कुशवाहा, म0का0 शिवांगी सिंह, का0 अनुज शुक्ला।

संतकबीरनगर पुलिस आमजन से अपील करती है कि किसी भी अज्ञात व्यक्ति के झांसे में आकर बैंक खाता, ओटीपी, यूपीआई पिन अथवा अन्य गोपनीय जानकारी साझा न करें। किसी भी प्रकार की साइबर धोखाधड़ी होने पर तत्काल साइबर हेल्पलाइन नम्बर 1930 अथवा वेबसाइट cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं।

अपील- जनता से अनुरोध है कि किसी भी अनजान कॉल या ब्लैकमेलिंग के झांसे में न आएं। साइबर ठगी होने पर तत्काल Cybercrime.gov.in पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए जालसाजी/धोखाधड़ी के मामले में वांछित 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा *श्री अभयनाथ मिश्र* के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना धनघटा *श्री दिलीप सिंह* के नेतृत्व में थाना धनघटा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 293/2026 धारा 3(5)/316(2)/338/336(3)/340(2)/351(3) बीएनएस में वांछित अभियुक्तगण नाम पता 01. रोहित यादव पुत्र दुर्विजय यादव नुवासी रामपुर दक्षिणी थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर, 02.राजकुमार पुत्र अयोध्या निवासी जगदीशपुर थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर, 03.अशोक कुमार उर्फ सोनू पुत्र ओमप्रकाश निवासी जगदीशपुर थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि दिनाँक 17.05.2026 को वादी सुदर्शन पाल पुत्र ईश्वरदेव पाल निवासी सकरदेईया थाना गोला जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध जालसाजी/धोखाधड़ी कर दूसरे की जमीन को बैनामा कराने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

01. रोहित यादव पुत्र दुर्विजय यादव नुवासी रामपुर दक्षिणी थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर।

02.राजकुमार पुत्र अयोध्या निवासी जगदीशपुर थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर।

03.अशोक कुमार उर्फ सोनू पुत्र ओमप्रकाश निवासी जगदीशपुर थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- व0उ0नि0 श्री राजेश कुमार दूबे, का0 रामप्रवेश राजभर।

दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्ता गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में ***थाना महुली पुलिस*** द्वारा 01 नफर वारण्टी नाम पता ऊषा देवी पुत्री जीतबहादुर यादव निवासी नैनाझाला थाना महुली जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री अशोक कुमार, हे0का0 शम्श तबरेज, का0 अरविंद यादव, हे0का0 आनन्द दूबे, म0का0 शालिनी तिवारी, म0का0 अनीता पान्डेय।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 04 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना दुधारा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 313 वाहनों से 3,03,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 20.06.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 313 वाहनों से 3,03,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

साइबर अपराध के शिकार हुए पीड़ित को साइबर सेल थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस टीम ने दिलाई राहत, वापस कराई गई 1,89,998.00 रु0 की धनराशि

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में क्रैक साइबर क्राइम के तहत साइबर अपराधों की रोकथाम एवं पीड़ितों को त्वरित राहत दिलाने हेतु साइबर सेल थाना कोतवाली खलीलाबाद टीम द्वारा सतत प्रभावी कार्रवाई करते हुए आवेदक का मोबाइल फोन खो जाने के उपरान्त किसी अज्ञात व्यक्ति/साइबर फ्रॉडर द्वारा उक्त मोबाइल फोन का अनधिकृत एवं कूटरचित तरीके से उपयोग करते हुए आवेदक के बैंक खाते से धनराशि का अवैध रूप से स्थानांतरण कर लिये हुए 1,99,998.00 रुपये मे से 1,89,998.00 रुपये की धनराशि आवेदक के खाते में सफलतापूर्वक वापस करा दिया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरणः- श्री ब्यासमुनी चौधरी पुत्र रामकेवल चौधरी साकिन बरहटा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर से दिनाँक 19.05.2026 को आवेदक का मोबाइल फोन खो जाने के उपरान्त किसी अज्ञात व्यक्ति/साइबर फ्रॉडर द्वारा उक्त मोबाइल फोन का अनधिकृत एवं कूटरचित तरीके से उपयोग करते हुए आवेदक के बैंक खाते से 1,99,998.00 रुपये धनराशि का अवैध रूप से स्थानांतरण कर लिया गया। ठगी का अहसास होने पर आवेदक ने तत्काल थाना कोतवाली खलीलाबाद में शिकायत दर्ज कराया। साइबर हेल्प डेस्क पर तैनात आरक्षी रविकान्त कुशवाहा द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए NCRP पोर्टल पर शिकायत पंजीकृत की गयी। पुलिस की प्रभावी पैरवी से 1,99,998.00 रुपये मे से 1,89,998.00 रुपये की धनराशि को आवेदक के खाते में सफलतापूर्वक वापस करा दी गयी।

साइबर सेल टीम:- प्रभारी निरीक्षक श्री जयप्रकाश दूबे, अपराध निरीक्षक श्री वीरेन्द्र कुमार यादव (प्रभारी साइबर सेल), का0 रविकान्त कुशवाहा,म0का0 शिवांगी सिंह, रि0का0 अनुज शुक्ला

अपील- जनता से अनुरोध है कि किसी भी अनजान कॉल या ब्लैकमेलिंग के झांसे में न आएं। साइबर ठगी होने पर तत्काल Cybercrime.gov.in पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें।

क्रैक साइबर क्राइम के तहत पीड़ित को साइबर सेल थाना मेंहदावल पुलिस टीम ने दिलाई राहत, वापस कराई गई 7500.00 रू की धनराशि

पुलिस अधीक्षक संत कबीर नगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में क्रैक साइबर क्राइम के तहत साइबर अपराधों की रोकथाम एवं पीड़ितों को त्वरित राहत दिलाने हेतु साइबर सेल थाना मेंहदावल टीम द्वारा सतत प्रभावी कार्यवाई करते हुए 01 पीड़ित द्वारा पैसे भेजने के उपरांत गलत UPI ID दर्ज हो जाने के कारण आवेदक का पैसा किसी अन्य UPI ID पर चला गया था जिसमे साइबर सेल थाना मेंहदावल पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए समस्त 7500 रुपये की धनराशि आवेदक के खाते में सफलतापूर्वक वापस कराया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

पीड़ित द्वारा पैसे भेजने के उपरांत गलत UPI ID दर्ज हो जाने के कारण आवेदक का पैसा किसी अन्य UPI ID पर चला गया, पीड़ित अखिलेश कुमार मौर्य पुत्र श्री हरीराम मौर्य निवासी बढया ठाठर, थाना मेंहदावल जनपद संतकबीर नगर से घटना हो जाने के उपरान्त हकीकत पता चलने पर पीड़ित को अहसास हुआ तब पीड़ित द्वारा साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 के माध्यम से शिकायत संख्या – 33104250050257 पंजीकृत की गयी थी, प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए आरक्षी संदीप कुमार गौतम, आरक्षी दीपक सिंह, आरक्षी सौरभ कुमार द्वारा तत्काल संबंधित बैंक से संपर्क कर व तकनीकी विश्लेषण के माध्यम से धनराशि को होल्ड कराया और विधिक प्रक्रिया पूर्ण करते हुए आवेदक के खाते में धनराशि 7,500.00 रुपये वापस करा दी गयी। अपनी मेहनत की कमाई वापस पाकर पीड़ित ने पुलिस प्रशासन एवं साइबर टीम का सहृदय आभार व्यक्त किया है।

साइबर सेल टीम – प्रभारी निरीक्षक श्री राकेश कुमार सिंह, व0उ0नि0 श्री राकेश कुमार , उ0नि0 श्री संजय कुमार वर्मा, आरक्षी संदीप कुमार गौतम , आरक्षी दीपक सिंह, आरक्षी सौरभ कुमार व रिक्रूट आरक्षी अमित कुमार ।

जनता से अपील

1. जनपद पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी अज्ञात व्यक्ति द्वारा भेजे गए लिंक, कॉल या संदेश पर अपनी बैंक जानकारी, ओटीपी, पासवर्ड या यूपीआई पिन साझा न करें।
2. कोई व्यक्ति फोन पर रिश्तेदार या दोस्त बनकर पैसों की मांग करे, तो बिना उसकी पहचान की पुष्टि (वीडियो कॉल या अन्य माध्यम से) किए पैसे न भेजें।
3. साइबर अपराधी अक्सर आवाज बदलकर या भावनात्मक दबाव बनाकर ठगी करते हैं।
4. किसी भी संदिग्ध लेनदेन की शिकायत तुरंत 1930 हेल्पलाइन नंबर अथवा cybercrime.gov.in पर दर्ज करें।

इस पर पीड़ित व उसके परिजनों द्वारा थाना मेंहदावल पुलिस की भूरी भूरी प्रसंशा की गयी।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए जालसाजी/धोखाधड़ी के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद *श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय* के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद *श्री जयप्रकाश दूबे* के नेतृत्व में थाना कोतवाली खलीलाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 507/2026 धारा 338/336(3)/340(2)/318(4)/319(2)/352 बीएनएस में वांछित अभियुक्त नाम पता राधे उर्फ राधेश्याम चौरसिया पुत्र साधूसरण चौरसिया निवासी काँटगंगा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को बुद्धा कला पुल के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि दिनाँक 11.06.2026 को वादिनी गुड्डी गुप्ता पत्नी श्री शंकर दयाल गुप्ता निवासिनी पिपरौली बाजार थाना गीड़ा जनपद गोरखपुर हा0मु0 208 बेस्ट घोषपाड़ा रोड़, श्यामनगर नौपाड़ा नार्थ 24 परगना पश्चिम बंगाल द्वारा गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध कूट रचित बन्ध पत्र तैयार करवाकर 40 लाख रुपए लेने के बाद जमीन बैनामा करने से मुकरने तथा पैसा वापस न देने तथा जालसाजी/धोखाधड़ी करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री प्रभान्शु कुमार राय, का0 सिद्धार्थ शुक्ला, का0 मुकेश कुमार, का0 सत्यप्रकाश।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए बभनी चौराहे पर युवक की धारदार हथियार से हत्या के मामलें में वाँछित 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री सर्वदवन सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर में अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में ***थाना बखिरा पुलिस*** द्वारा कार्यवाही करते हुए दिनाँक 20.06.2026.2026 को बभनी चौराहे पर एक युवक की हत्या की घटना में संलिप्त 03 अभियुक्तों 01. नासिर पुत्र इन्द्रीश निवासी कुसम्हामाफी थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को ग्राम कुशम्हामाफी बाग से व 02. निरहू उर्फ साकिर अली पुत्र तौआब अली निवासी कुसम्हामाफी थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर तथा 3. जैगम उर्फ अजमल हुसैन पुत्र शब्बीर निवासी जीवधरा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को ग्राम बढया के महुआ की बाग के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का विवरणः- दिनांक 19.06.2026 को श्री इन्द्रेश पुत्र जतन निवासी कोलकी चमरसन थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना बखिरा पर तहरीर दिया गया कि उनके पुत्र आनन्द पुत्र इन्द्रेश निवासी ग्राम कोलकी चमरसन थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर उम्र लगभग 30 वर्ष की बभनी चौराहे पर अभियुक्तगण उपरोक्त द्वारा जातिसूचक गाली देते हुए धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गयी है। उक्त प्रकरण में थाना बखिरा पर प्रार्थना पत्र के आधार पर मु0अ0सं0 245/2026 धारा 103(1),352,351(3) बीएनएस व 3(1)द,3(1)ध,3(2)(v),3(2)(va)SC/ST एक्ट पंजीकृत किया था। घटना स्थल का निरीक्षण श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर, जोन गोरखपुर, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक बस्ती, परिक्षेत्र बस्ती, जिलाधिकारी संतकबीरनगर व पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर द्वारा किया गया था।

गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर धारा 3(5) बीएनएस की बढोत्तरी किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

01. नासिर पुत्र इन्द्रीश निवासी कुसम्हामाफी थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर।
02. निरहू उर्फ साकिर अली पुत्र तौआब अली निवासी कुसम्हामाफी थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर।
3. जैगम उर्फ अजमल हुसैन पुत्र शब्बीर निवासी जीवधरा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर।

गिरफ्तार करने वाले अधिकारी / कर्मचारीगणः-

थानाध्यक्ष श्री उमाशंकर त्रिपाठी, हे0का0 रमेश मिश्रा, का0 संजीव यादव, रि0का0 रूपान्जय सिंह म0का0 प्रियंका सिंह।